अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु दिनांक 06 जून, 2019 को समय 12:00 बजे मध्यान्ह आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे, प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
3. श्री अरविन्द कुमार सिंह, विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
4. श्री प्रकाश बिन्द, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. श्री सुधीर सिंह चौहान, विशेष सचिव, वन, उ0प्र0 शासन।
6. डा0 एस0के0 श्रीवास्तव, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
7. डा0 आनन्द कुमार, सचिव, गो–सेवा आयोग, लखनऊ।
8. श्री आशुबोध कुमार पंत, वन संरक्षक, उ0प्र0
9. श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
10. डा0 अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक, गोधन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. श्री अवधेश कुमार खरे, अनु सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0शासन।
12. श्री प्रहलाद बरनवाल, अनु सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
13. श्री वृजेन्द्र सिंह, अनु सचिव, नगर विकास विभाग, उप्र0 शासन।
14. श्री अजय प्रकाश, उपायुक्त, मनरेगा राज्य प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
15. डा0 वी0के0 श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
16. श्री आर0एस0 चौधरी, उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
17. अरविन्द राय, उप निदेशक, जेड0पी0एम0सी0, उ0प्र0।

बैठक ससमय प्रारम्भ हुई। प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन द्वारा बैठक के संदर्भ में अवगत कराया कि दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्णय कराए जाने के निर्देश दिए गयें। कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के रूप में किसी की पदस्थापना न होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक इस स्तर पर आयोजित किए जाने की अपेक्षा की गयी।

बैठक के प्रथम एजेण्डा बिन्दु "निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण/भरण–पोषण हेतु वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर प्राप्त धनराशि तीन स्तरों के पश्चात गो आश्रय स्थलों के व्यवस्थापक/संचालक के पास पहुँचती है। वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है" के प्रश्न पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि यद्यपि उप–जिलाधिकारी स्तर से प्रकरण संबन्धित नहीं है, परन्तु तहसील अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण एवं समय से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष समायोजन प्राप्त किए जाने हेतु वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखा जाय। बैठक में निर्देशित किया गया कि वर्तमान व्यवस्था में आवश्यकतानुसार धनराशि जिलाधिकारी के स्तर से तहसील एवं विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम पंचायत तक पहुँचने/हस्तान्तरण में बिलम्ब न हो पर विशेष निगरानी रखी जाय। भविष्य में यदि बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो लेशन–लर्न के आधार पर सुसंगत प्रस्ताव के साथ बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाहीः समस्त जिलाधिकारी।

द्वितीय एजेण्डा बिन्दु "प्रत्येक आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के अभिलेखीकरण, भौतिक सत्यापन तथा फोटो/वीडियो/टैगिंग आश्रय स्थलों की जिओ टैगिंग कराने के दायित्व के सम्बन्ध में आश्रय स्थलों के संचालन हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों का उत्तरदायित्व के निर्धारण" के संबन्ध में प्रथमतः अभिलेखीकरण

के संबन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श अंतर्गत पंचायतीराज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एक पंचायत सचिव के पास 6–7 ग्राम पंचायतें होती हैं। अतः उन्हें इस कार्य में कठिनाई हो रही है। पंचायती राज्य विभाग एवं निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा अभिलेखीकरण हेतु एक पृथक से मानव संसाधन की व्यवस्था पर बल दिया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 4118 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल क्रियाशील हैं, जिसमें 201162 गोवंश संरक्षित हैं, जबकि ग्राम विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के 31000 क्षेत्रीय कार्मिक कार्यरत हैं। विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त पृथक मानव संसाधान हेतु मत स्थिर न होने पर निर्देशित किया गया कि पंचायतीराज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने उपलब्ध मानव संसाधनों में से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर अभिलेखीकरण की जिम्मेदारी हेतु शासनादेश निर्गत किया जाय। इसी के साथ अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के भौतिक सत्यापन हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं व उनके द्वारा नामित अधिकारी/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए गये। जहॉ तक गोवंश के इयर टैगिंग एवं स्थल के जियों टैग किए जाने का प्रश्न/जिम्मेदारी है, के संबन्ध में पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा व्यवस्था, टीकाकरण, बन्ध्याकरण, लघु शल्य चिकित्सा, गोवंश प्रसव व्यवस्था/उपचार, इयर टैगिंग एवं स्थल का जियो टैग का कार्य स्वयं किया जायेगा।

कार्यवाहीः समस्त जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव–पंचायतीराज/ग्राम्य विकास/पशुधन विभाग।

तृतीय एजेण्डा बिन्दु "निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पकड़ने, उनके परिवहन करने एवं संरक्षित करने के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में निराश्रित/बेसहरा गोवंश को पकड़ने के लिए कैटेल–कैचर (यथावश्यकता परिवहन सहित) की व्यवस्था कराई जाय। इन पशुओं को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने तथा आश्रय स्थलों के संचालन करने हेतु अन्य लाइन विभाग यथा नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज एवं वन विभाग अपने स्तर से अपने कार्मिको के दायित्व इंगित/निर्धारित करने हेतु तथा सक्रिय सहभागिता हेतु पृथक–पृथक शासनादेश निर्गत करें। बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिये प्रशिक्षित श्रमिकों को पारिश्रमिक का मानक नियत करने" के संबन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श/सुझावों के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संबन्धित विभाग यथा नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज एवं वन विभाग अपने स्तर से शासनादेश निर्गत करें। जहॉ तक बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिये प्रशिक्षित श्रमिकों को पारिश्रमिक का मानक नियत करने का प्रश्न है, के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रथम यह ज्ञात कर लिया जाय कि नगर निगम/नगर पंचायतों में बेसहारा गोवंश को पकड़ने की क्या व्यवस्था है, क्या उन विभागों द्वारा बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिए आउटसोर्स किया गया है, यदि हॉ तो क्या पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस संबन्ध में पशुपालन विभाग को तीन दिनों में सूचना एकत्रित कर शासन को अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गये है।

कार्यवाहीः प्रमुख सचिव–पंचायतीराज/ग्राम्य विकास/पशुधन विभाग।

चतुर्थ एजेण्डा बिन्दु "आश्रय स्थलों हेतु भरण–पोषण/संचालन हेतु उपलब्ध करायी जा रही अनुदान धनराशि में परिवर्तन विषयक" पर चर्चा में अवगत कराया गया कि वर्तमान में देय धनराशि रू0 30/– प्रति पशु प्रतिदिन कम है, इसे रू0 60/–प्रति पशु प्रतिदिन किए जाने तथा इसके साथ रू0 10/– प्रति पशु प्रतिदिन औषधि+मिनरल मिक्स्चर की उपलब्धता राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचर निधि (NDRF) मदों की सूची एवं दरें 2015–20 के पशुपालन और लघु कृषकों को साहयता के बिन्दु के प्रस्तर (ii) में पशु कैम्पों में चारा/संतुलित आहार/पानी और दवाओं का पृष्ठ संख्या–8 में प्राविधान अन्तर्गत बड़े पशु रू0 70/– एवं छोटे पशु रू 35/–देने की व्यवस्था है, के अनुक्रम में तथा वर्तमान में भूसे की दर, प्रति पशु आवश्यक ड्राइ मैटर की आवश्यकता को इंगित करते हुए अनुमोदन का अनुरोध किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि पशुपालन विभाग निदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन कर, जिसमें गो–सेवा आयोग एवं उ0प्र0 प0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो–अनुसंधान संस्थान, मथुरा के पशु पोषण विशेषज्ञ को भी सम्मिलित किया जाय तथा तीन दिन के अंदर बैठक आयोजित कर सुसंगत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

कार्यवाहीः प्रमुख सचिव–पंचायतीराज/ग्राम्य विकास/पशुधन विभाग।

पंचम एजेण्डा बिन्दु "पंजीकृत गोशालाओं में रखे गये निराश्रित/बेसहारा गोवंश को भी अनुदान दिए जाने" के संबन्ध में निर्णय लिया गया कि चतुर्थ एजेण्डा बिन्दु पर निर्णय उपरान्त उक्तानुसार ही कार्यवाही की जाय।

कार्यवाहीः गो–सेवा आयोग/मण्डी परिषद/पशुधन विभाग।

षटम एजेण्डा बिन्दु " निराश्रित गोवंश मुख्यतः नर पशुओं को रेस्ट्रेन किया जाने हेतु ट्रेकुलाइजर गन क्रय किया जाना" के संबन्ध में वन संरक्षक, कार्यालय हेड आफ फारेस्टर्स/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है कि ट्रेकुलाइजर गन केवल जंगली पशुओं, जिनको दूर से बेहोस किया जाना ही प्रासंगिक है, में प्रयोग किया जा सकता है। ट्रेकुलाइजर गन का प्रयोग डामेस्टिकेटेड पशु यथा गोवंश पर प्रयोग किए जाने हेतु मानक में निर्धारित नहीं है, कदापि उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस संबन्ध में विस्तृत विचार– विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पशुपालन विभाग इस संबन्ध में अपने स्तर पर कार्यवाही करें तथा निराश्रित गोवंश जिन्हे संरक्षित कर चिकित्सा/बंध्याकरण किया जाना है, के संबन्ध में तकनीकी पहलुओं के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर विशिष्ठियों का निर्धारण कर आवश्यकतानुसार क्रय एवं नियमानुसार प्रयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अरविन्द कुमार सिंह
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–1497/सैंतीस–2–2019–5(53)/2018टीसी–1
लखनऊ :: दिनांक 19 जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास/पंचायतीराज/ग्राम्य विकास एवं वन विभाग, उ0प्र0 शासन को उक्त कार्यवृत्त की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर यथोचित कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग–2 को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिव, गो सेवा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।